राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

महत्वपूर्ण

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2019/3968 **भोपाल,दिनांक 04/04/2019**

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश

2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश

3. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, AIIMS भोपाल, म.प्र.।

4. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा, म.प्र.

विषय :– **पोषण पुनर्वास केन्द्रों, चिकित्सा महाविद्यालयीन एस.एम.टी.यू./एन.आर.सी. तथा स्मार्ट यूनिट, एम्स भोपाल हेतु वार्षिक प्रबंधन राशि (Annual Maintenance Cost) के संबंध में दिशा–निर्देश ।**

*****

शिशु स्वास्थ्य –पोषण, वर्ष 2019–20/परिपत्र क्रमांक – 2

विषयांतर्गत लेख है कि, बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों के संस्थागत प्रबंधन हेतु प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में पोषण पुनर्वास केन्द्र, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में गंभीर कुपोषण प्रबंधन इकाई (SMTU)/NRC तथा AIIMS भोपाल में उन्नत निदान केन्द्र यथा SAM Advanced Referral and Treatment Unit (SMART Unit) का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंर्तगत इन संस्थाओं के वार्षिक रखरखाव हेतु प्रबंधन राशि का नियोजन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 10 बिस्तरीय केन्द्र हेतु राशि रु. 50000/– एवं 20 बिस्तरीय केन्द्र हेतु राशि रु. 750000/– प्रति संस्था की स्वीकृति दी जाती है। **वित्तीय वर्ष 2018–19 में समस्त डी.डी.ओ. द्वारा किये गये कम व्यय को देखते हुए वर्ष 2109–20 में स्वीकृत राशि की 80 प्रतिशत राशि जारी की जायेगी जिसके संपूर्ण व्यय उपरांत संस्था द्वारा उचित माध्यम से मांगपत्र प्रस्तुत करने पर शेष राशि जारी की जा सकेगी। समस्त विकासखण्ड स्तरीय केन्द्र हेतु मांग पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अस्पताल स्तरीय केन्द्र हेतु मांग पत्र सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालयीन केन्द्रों हेतु संबंधित अप्रूवर अधीक्षक/अधिष्ठाता के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रेषित की जाना होगी।**

10 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्रों को राशि रू 40,000/– एवं 20 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्रों को राशि रू 60,000/– का आवंटन किया गया है। समस्त डी.डी.ओ. द्वारा वार्षिक रखरखाव पर हुए व्यय की नियमित वित्तीय बुकिंग एफ.एम.आर. कोड क्र. 1.3.1.4 "Annual Maintenance Cost of 10 bedded NRC तथा Annual Maintenance Cost of 20 bedded NRC" **में की जाये।**

वार्षिक रखरखाव हेतु एन.आर.सी. चिकित्सा अधिकारी अथवा पोषण प्रशिक्षक को Vendor बनाकर, 10 बिस्तरीय केन्द्र हेतु राशि रु. 4000/– प्रतिमाह एवं 20 बिस्तरीय केन्द्र हेतु राशि रु. 6000/– प्रतिमाह अग्रिम राशि दी जाये। प्रबंधन राशि के उपयोग संबंधी दिशा–निर्देश अनुरूप अग्रिम राशि के विरूद्ध व्यय के प्रमाणित भुगतान व्हाउचर प्राप्ति पर ही आगामी माह हेतु राशि जारी की जाये।

आवंटित वार्षिक प्रबंधन राशि का उपयोग निम्न गतिविधियों के लिए किया जा सकता है:–

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपलब्ध कम्प्यूटर को क्रियाशील रखने तथा इन्टरनेट की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये।

- गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप अत्यावश्यक विशिष्ट औषधियाँ अथवा लेबोरेटरी जॉच सुविधा, जिसकी संस्था में व्यवस्था न हो।
- गंभीर कुपोषित बच्चों में Critical Case Management Protocols एवं अन्य थेराप्यूटिक/मेडिसिन्ल पेनल्स के प्रदर्शन के लिए।
- केन्द्र के लिये स्वीकृत सामग्री/उपकरण जैसे – Digital kitchen weighing scale, length board, electronic weighing scale, ग्लूकोमीटर एवं स्ट्रिप्स, लो रीडिंग थर्मोमीटर, पीडियाट्रिक नैज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, रूम थर्मोमीटर, रेफ्रिजरेटर, फ्लाई कैचर, वाटर फिल्टर/Aquaguard, हीट कन्वेक्टर, मिक्सर–ग्राइन्डर, इनवर्टर आदि के नियमानुसार क्रय एवं मरम्मत/सुधार कार्य के लिए।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र के रसोई में उपयोगी बर्तनों जैसे Measuring cups & Spoons, Transparent measuring jars , measuring cylinders for calculating left-over feed amount आदि के क्रय के लिये।
- केन्द्र में भर्ती बच्चों के लिए थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच आदि की व्यवस्था बैड संख्या के अनुरूप व न्यूनतम 5–10 अतिरिक्त सेट के क्रय हेतु।
- आवश्यकतानुसार रसोई गैस के रिफीलिंग, इंडक्शन हीटर एवं इंडक्शन हीटर के अनूकुल बरतनों के क्रय हेतु।
- रिकॉर्ड संधारण हेतु आवश्यक स्टेशनरी तथा फोटोकॉपी के लिए।
- केन्द्रों में टी.व्ही. एवं डी.व्ही.डी. प्लेयर/यू.एस.व्ही. प्लेयर की उपलब्धता के लिए।
- बच्चों के लिए उम्र के आधार पर उपयुक्त खिलौने के क्रय एवं बदलाव हेतु:–

क्र.	उम्र	खिलौने का प्रकार
1.	6 माह	• झुनझुना (रैटल), डफली • लटकने वाले खिलौने जैसे – हाथी घोड़े वाला झूमर • शिशु की पकड़ को सुदृढ़ करने के लिए रिंग–नुमा खिलौने • दृष्टि के बेहतर तालमेल एवं रंगों की पहचान हेतु आकर्षक रंगों वाले गेंद या अन्य आकार के खिलौने।
2	9 माह से 12 माह	• ढकेलने वाली वॉकर गाड़ी • डिब्बे में भरने एवं बिखैर कर खेलने लायक खिलौने। (In and out toys) ध्यान रहे कि खिलौने का आकार इतना छोटा न हो कि शिशु उसको निगल ले
3.	12 माह	• एक के अंदर एक भरे जाने वाले घटते आकार के खिलौने जैसे–रशियन गुड़िया (Nesting toys) • घटते आकार के रंगीन डिब्बे जिसे शिशु एक के अंदर एक भर सके। • कपड़े की गुड़िया, बंदर, भालू , ड्रम, गेंद
4.	18 माह	• बिल्ड़िग ब्लॉक्स् • फलों व सब्जियों के आकार ज्ञान हेतु खिलौने • अक्षर ज्ञान हेतु ब्लॉक्स् • संख्या ज्ञान हेतु अबेकस • धकेलने–खीचने वाले खिलौने (Pull and Push toys) • प्लास्टिक की मोटर गाड़ी, बस आदि • हिट–मी खिलौने
5.	18 माह से 5 वर्ष तक	• प्लास्टिक की फिसल–पट्‌टी, सी–सॉ, मेरी–गो–राउन्ड आदि • सामान्य ज्ञान वर्धन हेतु पज़ल्स/पहेली (Jigsaw Puzzles) • बाल सुलभ रंगीन चित्र युक्त किताबे (यथासंभव प्लास्टिक कोटेड किताबे)

- बाल सुलभ कॉर्टून फिल्मों, मीना पैकेज, की सी.डी. की व्यवस्था हेतु। संचालित केन्द्रों की दीवारों पर बाल सुलभ भित्ति तैल चित्रों (Digital wall painting) की आवश्यकतानुसार पुनर्चित्रण के लिए।
- भर्ती बच्चों के लिए मनभावन आकर्षक रंगों के नर्सरी प्रिन्ट की चादरें, रंगीन नर्सरी प्रिन्ट के पर्दे, मेकेन्टोश शीट एवं तकिया गिलाफों की व्यवस्था के लिए।
- कीट नियंत्रण हेतु फ्लाईकैचर एवं मूशक नियंत्रण हेतु Mouse trap की व्यवस्था हेतु।

- संचालित केन्द्रों में विविध सामग्री जैसे – साबुन, झाडू, बाल्टी, लौटा, कूड़ादान, वाइपर, पैरपोश, बल्ब, ट्यूबलाईट, ऑल–आउट मशीन/ मेडिकेटेड मच्छरदानी आदि वार्ड की तथा केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु अत्यावश्यक एवं न्यायोचित सामग्री के क्रय बावत।
- **ज्ञात हो कि पोषण पुर्नवास केन्द्र स्वास्थ्य संस्था का एक अभिन्न अंग है अतः केन्द्र के दैनिक रखरखाव, आवश्यक पुताई/रंग–रोगन, Minor civil works, उपलब्ध शैय्याओं की मरम्मत तथा उसकी ऊँचाई 2 फीट तक करना, गद्दों व बेड साइड लॉकर की उपलब्धता, खिडकियों व दरवाजे पर जाली लगाना एवं केन्द्र की दैनिक साफ–सफाई व चादरों की दैनिक धुलाई की व्यवस्था आदि हेतु संस्थान को स्वीकृत Untied funds का उपयोग किया जाए।**

3/4

(नीतेश व्यास)
आयुक्त सह मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2019/ भोपाल,दिनांक /04/2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. उपसंचालक, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिश्यिेटिव, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला NRC MO, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
10. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश – निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध करायें।
11. समस्त विकासखण्ड लेखा प्रबंधक।

आयुक्त सह मिशन संचालक,
एन.एच.एम.मध्यप्रदेश